



INDIA GLYCOLS LIMITED

Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel. : +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200
Fax : +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail : iglho@indiaglycols.com, Website : www.indiaglycols.com

IGL/SE/2026-27/05

22nd April, 2026

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051

Scrip Code: 500201

Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Submission of Newspaper Advertisement regarding Special Window for transfer and dematerialisation of physical shares

In furtherance to our letter no. IGL/SE/2025-26/81 dated 18th February, 2026, in pursuance to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith the copy of 2nd Newspaper advertisement published on 22nd April, 2026 w.r.t. opening of a Special Window for transfer and dematerialization of physical shares of the Company in accordance with SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated 30th January, 2026, in the following newspapers:

1. **Financial Express** (All Editions) in English; and
2. **Uttar Ujala** (Nainital Edition) in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,
For India Glycols Limited

Ankur Jain
Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Registered and Corporate Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 India. Website: www.yesbank.in

Publication of Notice u/s 13 (2) of the SARFAESI Act

Table with 6 columns: Sr No, Account No, Type of Loan, Name of Borrowers, co-borrowers, Mortgagors, Notice, O/s. As per 13(2), NPA Date, Notice Date. Contains details for various secured assets.

Details of secured asset: 1. All that piece and parcel built upon industrial plot bearing no. F-231 & 232, RIICO Industrial Area, Khushkhikra, Distt. Alwar, Rajasthan, Pin Code-301707, comprising of land area of 3977 Sq. Mtrs. Boundary: North: Plot No. F-211 & F-212. South: Road 30 Mtr Wide, East: Plot No. F-233, West: Plot No. F-230

2. All that piece and parcel built upon in the residential flat bearing no. J-1003 & 1004, 10th Floor, Wake Krish Vatika, Bhiwadi, Village-Khanpur, Tehsil-Tapukara, District-Alwar, Rajasthan, having super area of 2840 Sq. Ft. Boundary: North: Open, South: Open, East: K Block, 1001, 1002, West: Road. Mortgagor: Mrs. Manjeet Kumari (Loan Against Property-Term Loan).

3. All That Piece and parcel of freehold built up society, Flat No. 191, on 1st&2nd Floor (Duplex), in the layout plan presently known as Swastik Kunj at Plot No.29, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, having super area 85 Sq. Mtrs. Boundary: NE: Flat No. 192, SW: Flat No. 190, E/S: Open, W/N: Entry, Mortgagor: Mr. Tejinder Yadav (Loan Against Property-Term Loan As Co-Applicant and Mortgagor)

The above borrower(s)/co-borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under sub-section (4) of section 13(2) of the SARFAESI Act.

Furthermore, this is to bring to your attention that under Section 13(8) of the Act, in case of the dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date of publication of the notice for public auction/Sale then Sale shall not be concluded and secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

Dated: 22/04/2026, Sd/- (Authorized Officer) YES BANK LIMITED, Places: Delhi/Rajasthan

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



PUBLIC ANNOUNCEMENT

LEAPFROG ENGINEERING SERVICES LIMITED (formerly Leapfrog Engineering Services Private Limited)

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company in the name of "Leapfrog Informatics Private Limited" on May 09, 2005 under the provisions of Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U74210KA2005PTC036274 issued by Registrar of Companies - Karnataka. Subsequently the name of our company was changed to "Leapfrog Engineering Services Private Limited" via a fresh Certificate of Incorporation consequent upon Change of Name dated January 23, 2009 bearing Corporate Identification Number U74210KA2005PTC036274 issued by Registrar of Companies - Karnataka. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our company was changed to "Leapfrog Engineering Services Limited" via a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated June 21, 2024 bearing Corporate Identification Number U74210KA2005PTC036274 issued by Registrar of Companies - Central Processing Centre (CPC). For further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 183 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: No 496, Chaitanya Dhriti Rudresh, 6th Main, 8th Cross, Vijaya Bank Layout, Bannerghatta Road, Bangalore, Bangalore South, Karnataka, India, 560076. Contact Person: Ms. Sneha Hegde, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 78994 81340, E-Mail ID: cs@lesgroup.in; Website: www.lesgroup.in; CIN: U74210KA2005PTC036274

OUR PROMOTERS: (i) Mr. Prabhav Narasimha Rao and (ii) Mrs. Priyashaila Prabhav Rao

INITIAL PUBLIC OFFER UP TO 3,84,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1/- EACH ("EQUITY SHARES") OF LEAPFROG ENGINEERING SERVICES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•]/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹[•] LAKHS ("THE ISSUE"), COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO 3,46,08,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹[•] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 38,76,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, PRABHAV NARASIMHA RAO ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹[•] LAKHS, (HEREINAFTER REFERRED AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") OUT OF WHICH 19,26,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•]/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹[•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 3,65,58,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•]/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹[•] LAKHS IS HEREIN REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.14% AND 25.78% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 1/- EACH.

CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED APRIL 08, 2026 AND TO THE CORRIGENDUM DATED APRIL 14, 2026 (PUBLISHED ON APRIL 15, 2026)

NOTICE TO INVESTORS (THE "CORRIGENDUM")

Potential Bidders are requested to note the following modification to the disclosures made in the Red Herring Prospectus ("RHP") dated April 08, 2026 and the Corrigendum dated April 14, 2026 published in 1. English National Daily - all editions- Financial Express 2. Hindi National Daily - all editions- Jansatta and 3. Regional Language Newspaper - Vijayavani - Bangalore Edition on April 15, 2026:

- 1. In relation to SECTION XI ISSUE INFORMATION - ISSUE STRUCTURE (Please refer Page 332 of the Red Herring Prospectus), and wherever appearing in the Red Herring Prospectus, the same shall stand amended as follows: A. Minimum Application Size- under Individual Investors should be read as- Two lots with minimum application size of above Rs 2 lakhs. B. Maximum Application Size - under Non - Institutional Investors should be read as - Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares face value of ₹1/- each not exceeding the size of the Net Issue (excluding the QIB portion), subject to limits as applicable to the Bidder.

Allocation of the issue

Table with 2 columns: Portion, Allocation. Rows include QIB PORTION, INDIVIDUAL INVESTORS PORTION, NON-INSTITUTIONAL PORTION, MARKET MAKER PORTION, ANCHOR PORTION.

- 3. In the Corrigendum dated April 14, 2026 (published on April 15, 2026) the line "CORRIGENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED APRIL 08, 2026" shall be read as "CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED APRIL 08, 2026".

Table with 3 columns: BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE (FINSHORE), REGISTRAR TO THE ISSUE (INTEGRATED), COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER (ISSUER COMPANY) (Ms. Sneha Hegde).

*The logo of the Registrar to the Issue (RTA) appearing in the DRHP and RHP has been changed and the updated logo is reflected herein.

The above modification shall be read in conjunction with the Red Herring Prospectus dated April 08, 2026, Corrigendum dated April 14, 2026 (Published on April 15, 2026) and Pre Issue Advertisement dated April 17, 2026 (Published on April 18, 2026) and all other offer documents unless stated otherwise. Accordingly, all references to such information in the Red Herring Prospectus and all other offer documents shall stand updated pursuant to this Corrigendum. All capitalised terms used herein, unless the context otherwise requires, shall have the meaning assigned to them in the Red Herring Prospectus.

For and behalf of Leapfrog Engineering Services Limited, Sd/- Sneha Hegde, Compliance Officer

Place: Bangalore, Date: April 21, 2026

Disclaimer: Leapfrog Engineering Services Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC and the Stock Exchange on April 08, 2026. The RHP is available on the website of the Company at www.lesgroup.com; and on the websites of the BRLMs, i.e. Finshore Management Services Limited at www.finshoregroup.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" on page 25 of the RHP filed with RoC. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed with the Company with the RoC dated April 08, 2026, along with the Corrigendum dated April 14, 2026 (Published on April 15, 2026), Price Band Advertisement dated April 17, 2026 (Published on April 18, 2026) and the above Corrigendum. This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (a) within the United States solely to persons who are reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (b) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulations under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering in the United States.

Indian Bank POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) 116 CIVIL LINES, BAREILLY. Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement/Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) and 13(12) read with Rules 8 & 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer issued a Demand Notice on the dates noted against each Account as mentioned hereinafter, calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the under noted borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec 13(4) of the said Act read with Rules 8 & 9 of the said Rules on the dates mentioned against each Account. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Indian Bank for the amounts and interests thereon mentioned against each account herein below.

Table with 4 columns: Borrower / Guarantor Name & Address, Description of the Property, (a) Date of Demand Notice, (b) Date of Possession Notice, (c) Outstanding Amount. Includes details for Mr. Seelendra S/o Ram Nath (Borrower) and Mrs. Khilauna Devi w/o Seelendra (Co-Borrower/Mortgagor).

NORTHERN RAILWAY Invitation of Tenders through E-Procurement System

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

Table with 5 columns: S. No, Tender No., Brief Description, Qty., Closing Date. Lists items like PANTO FOOT INSULATOR, OVER HAULING KIT FOR KES TYPE, HEAVY DUTY PASSENGER ESCALATOR, SUPERIOR QUALITY PILLOW, SPARE PART OF AC ELECTRIC LIFTING BARRIER, MODERN BAG PACK.

Note:- 1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details. 2. No manual offer will be entertained. Tender Notice No.: 05/2026-2027 Dated: 21.04.2026

CAN FIN HOMES LTD. First Floor, Saroha Complex, Malik Colony Gohana Road Near Chhoti Ban Chowk, Sonapat Haryana 131001. POSSESSION NOTICE [Rule 8(1)] [For Immovable Property]

The undersigned being the Authorized Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 02.02.2026 calling upon the borrowers All legal heirs of Late Mr. Ajit S/o Hawa Singh (Borrower) and Mrs. Bimla W/o Hawa Singh (Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the notice being Rs 401417/- (Rupees Four Lakh One Thousand Four Hundred Seventeen Only) with further interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 15th day of April, 2026. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFHL for an amount of Rs 4,01,417/- and interest thereon.

Description of immovable property: A House having an extent area of 150 Sq.Yds. of property situated at KILLA NO 285/302 WARD NO 12 ARYA NAGAR ROHTAK ROAD GOHANA SONEPAT HARYANA 131301

Boundaries: NORTH: Gali, SOUTH: Gali, EAST: House of Ram Bhai, WEST: House of Balwan Singh

Date: 21.04.2026, Place: Sonapat, Sd/-, Authorised Officer, Can Fin Homes Ltd.

INDIA GYCOLS LIMITED. Regd Off: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Utham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: +91 5947 289000/289500, Fax: +91 5947 2753 15/269535

2nd NOTICE TO SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SHARES

This is in furtherance to our previous Newspaper Notice published on 18th February, 2026. Notice is hereby given that with a view to facilitate the investors, SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-PODII/3750/2026 dated 30th January, 2026 has opened another special window for transfer and dematerialization of physical shares which were sold/purchased prior to 1st April, 2019.

The special window shall be open for a period of one year from 5th February, 2026 to 4th February, 2027. This facility is available to those shareholders who had purchased physical shares of India Gycols Limited (the "Company") prior to 1st April, 2019, and:

- (a) had not lodged the shares for transfer; or (b) had lodged the shares for transfer, but the same were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documentation.

Applicability of the Special Window: For clarity regarding the applicability of this window, shareholders may refer to the below matrix:

Table with 4 columns: Execution Date of Transfer Deed, Lodged for transfer before 1st April, 2019?, Original Security Certificate Available?, Eligible to lodge in the current window?.

All shares re-lodged during the special window period shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such shares shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

Eligible Shareholders may submit their transfer requests alongwith original share certificate(s) and other requisite documents as listed in the SEBI circular within the stipulated period to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, 17B-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020, email to admin@mcsregistrars.com or the Company Secretary at Plot No. 2-B, Sector-126, Noida-201304, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, email to compliance.officer@indiaGYCOLS.com

For further details, Shareholder may refer to SEBI Circular available on the website of the Company at https://www.indiaGYCOLS.com/shareholders-communication/ For India Gycols Limited Sd/- Ankur Jain Head (Legal) & Company Secretary

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE ICICI Bank

Branch Office: ICICI Bank Limited Plot No-23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

Table with 4 columns: Sr. No., Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number, Description of Property/ Date of Symbolic Possession, Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs), Name of Branch.

The above-mentioned borrower(s)/guarantor(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: April 22, 2026, Place: Kanpur & Jhansi, Sincerely Authorised Officer For ICICI Bank Ltd.

एआई से तैयार सामग्री पर लगातार दिखाना होगा पहचान चिन्ह

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृत्रिम मेधा (एआई) से तैयार सामग्री के लिए सख्त खुलासा मानदंड प्रस्तावित करते हुए ऐसी सामग्रियों पर अनिवार्य, लगातार और स्पष्ट रूप से दिखने वाला पहचान चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदा संशोधनों के तहत, अब प्रमुख रूप से दिखाई देने की जगह पूरे वीडियो या विजुअल कंटेंट की अवधि के दौरान निर्धारित पहचान चिन्ह को लगातार और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित

नोटिस सामान्य प्रारूप न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू.डि.) महोदया, रानीचेठ दीवानी वाद सं.-02/2026
वादीगण : 1. शेर सिंह उम्र 76 वर्ष, 2. पदम सिंह उम्र 70 वर्ष, 3. दलीप सिंह उम्र वर्ष, 4. शिवराज सिंह उम्र 62 वर्ष, पुत्रगण स्व. खोम सिंह निवासीगण ग्राम बिसौना रा.उ.नि. क्षे. नाफड़ तहसील रानीचेठ जिला अल्मोड़ा
बनाम
प्रतिवादीगण : 1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय अल्मोड़ा 2. हर आम व खास
प्रापक : हर आम व खास
अत: उपरोक्त वादीगणों ने एक घोषणात्मक वाद इस बाबत प्रस्तुत किया है कि हारा सिंह पुत्र देव सिंह ग्राम बिसौना पोस्ट ऑफिस दयोलिखेत तहसील रानीचेठ जिला अल्मोड़ा लगभग 83 वर्षों से लापता हैं और उनके सिविल मृत्यु की उपधारणा की जाए।
अत: एतद् आपको यह सूचित किया जाता है कि आप अथवा समुचित रूप से निर्दिष्ट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.05.2026 को समय 10.00 बजे दिन इस न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र के विपरीत आपको कोई आपत्ति हो उसे प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त प्रार्थना पत्र आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुना तथा निमित्त किया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक 18.04.2026 को जारी किया गया।
हस्ताक्षर न्यायाधीश सिविल जज (जू.डि.)न्यायाधिक मजिस्ट्रेट रानीचेठ

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/249
वर्ष 2025–26
वादी : आनन्द कुमार पुत्र स्व. बाबूराम निवासी जसपुर खुर्द तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा कुण्डेश्वरी
हर आम व खास का सूचित किया जाता है कि आनन्द कुमार पुत्र स्व. बाबूराम निवासी जसपुर खुर्द तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम जसपुर खुर्द के खता सं. 513 खसरा सं. 461/1 भूि. रक्बा 0.0189 है. लगानी 0.45 भूमि कुक्क भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.2026 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/223 वर्ष 2025–26
वादी : दलीप पुत्र राजे सिंह, निवासी ग्राम गडकोट मल्ला पो.आ. झिगार तहसील सट्ट अल्मोड़ा हाल निवासी क्वार्टर नं. 3119 टाईप 1 डी.एम. रेलवे कालोनी पटियाला पंजाब
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा कुंआखेडा
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि दलीप पुत्र राजे सिंह निवासी ग्राम गडकोट मल्ला पो.आ. झिगार तहसील सट्ट अल्मोड़ा हाल निवासी क्वार्टर नं. 3119 टाईप 1 डी.एम. रेलवे कालोनी पटियाला पंजाब मौजा प्रतापपुर के खता सं. 546 ख.सं. 111 मि. रक्बा 0.022 है. लगानी 0.55 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

करना होगा। इन संशोधनों में स्वतंत्र रूप से समाचार सामग्री तैयार करने वाले निर्माताओं को भी नियामकों द्वारा में लाने और उनके लिए सरकारी परामर्शों का पालन अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन के मसौदे में इन बदलावों को प्रस्तावित किया है। मंत्रालय ने हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर सात मई कर दिया है, जो पहले 29 अप्रैल निर्धारित था। मंत्रालय ने मसौदा दस्तावेज जारी करते हुए कहा, नियम 3(3)(ए)(आईआई) में संशोधन कर विजुअल प्रदर्शन में प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले शब्दों की जगह यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि ऐसे पहचान चिन्ह उस सामग्री को पूरी अवधि के दौरान लगातार और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों। मंत्रालय ने कहा कि इन अतिरिक्त संशोधनों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है ताकि हितधारक पहले से जारी मसौदे के साथ इन नए प्रस्तावों पर भी अपने सुझाव दे सकें। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य एआई-जनित या कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री को पहचान को अधिक पारदर्शी बनाना और उपयोगकर्ताओं को भ्रामक कंटेंट से बचाना है।

महिला आरक्षण पर देश को गुमराह कर रही भाजपा

रायपुर। कांग्रेस को राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रंजीत रंजन ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर रंभीर नहीं है। रायपुर के रंजीत भवन स्थित राष्ट्र कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रंजन ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लागू प्रणाली से लेकर मुख्यमंत्री तक झूठ बोल रहे हैं। रंजन ने कहा, भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/213
वर्ष 2025–26
वादी : मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0 रामू यादव निवासी कृष्णा हास्पिटल के पास सैनिक कालोनी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा जसपुरखुर्द
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि मनोज कुमार यादव पुत्र स्व. रामू यादव निवासी कृष्णा हास्पिटल के पास सैनिक कालोनी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर मौजा जसपुरखुर्द तहसील काशीपुर के खता सं. 1591 ख.सं. 115/1 मि. रक्बा 0.008 है. लगानी 0.20 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर
राजस्व वाद संख्या : 22/220
वर्ष 2025–26
वादी : किरन चौबे पत्नी दिग्विजय चौबे निवासी पकरी धापर पटखोली देवरीया उत्तर प्रदेश 274404 हाल नि. आर्यनगर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा कुंआखेडा
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि किरन चौबे पत्नी दिग्विजय चौबे निवासी पकरी धापर पटखोली देवरीया उत्तर प्रदेश 274404 हाल नि. आर्यनगर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर मौजा कुंआखेडा तहसील काशीपुर के खता सं. 18 ख.सं. 19/3 मि. रक्बा 0.008 है. लगानी 0.20 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्ष को आतंकित कर रहे प्रधानमंत्री : खड़गे

चेन्नई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अपना हमला तेज करते उन पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों और लोगों को आतंकित कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केंसी वेणुगोपाल के साथ चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने अनाद्रमुक के भाजपा के साथ गठबंधन को आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। हालांकि, जब संवाददाताओं ने इस टिप्पणी का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करने के लिए दबाव डाला, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को आतंकित कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, वह लोगों और राजनीतिक दलों को आतंकित कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह (राजस्व) आतंकवादी हैं। इसे आतंकित करना, वह अपनी सत्ता और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भाजपा कार्यालय का एक्सटेंशन बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में आदर्श लाचार सहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय

महिला आरक्षण पर देश को गुमराह कर रही भाजपा

झूठ भ्रम फैलाया जा रहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं किया, इसलिए संसद में विधेयक पारित नहीं हो सका। महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) 128 वां संविधान संशोधन सिविल 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं तथा यह कानून भी बन चुका है। उन्होंने कहा, भाजपा 2023 के आरक्षण कानून को क्यों लागू नहीं कर रही है? इस कानून के आधार पर तुरंत आरक्षण प्रभावी हो सकता है। भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया वह महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं है। भाजपा

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/210
वर्ष 2025–26
वादी : मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0 रामू यादव निवासी कृष्णा हास्पिटल के पास सैनिक कालोनी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा नौझड़ा
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि मनोज कुमार यादव पुत्र स्व. रामू यादव निवासी कृष्णा हास्पिटल के पास सैनिक कालोनी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर मौजा नौझड़ा तहसील काशीपुर के खता सं. 295 ख.सं. 121 मि. रक्बा 0.022 है. लगानी 0.55 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/204
वर्ष 2025–26
वादी : मल्लकीत सिंह पुत्र चैन सिंह निवासी ग्राम केसरीपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा केसरीपुर
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि मल्लकीत सिंह पुत्र चैन सिंह निवासी ग्राम केसरीपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर मौजा केसरीपुर तहसील काशीपुर के खता सं. 35 ख.सं. 94 मि. रक्बा 0.032 है. लगानी 0.90 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/212
वर्ष 2025–26
वादी : रीता यादव पत्नी मनोज यादव पुत्री चन्द्रभान यादव निवासी दुर्गा कालोनी जसपुरखुर्द तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा नौझड़ा
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि रीता यादव पत्नी मनोज यादव पुत्री चन्द्रभान यादव निवासी दुर्गा कालोनी जसपुरखुर्द तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर मौजा नौझड़ा तहसील काशीपुर के खता सं. 658 ख.सं. 23/2 मि. रक्बा 0.012 है. लगानी 0.30 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

सम्पन
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
राजस्व वाद संख्या : 22/211
वर्ष 2025–26
वादी : रीता यादव पत्नी मनोज यादव पुत्री चन्द्रभान यादव निवासी दुर्गा कालोनी जसपुरखुर्द तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर
बनाम
प्रतिवादी : उत्तराखण्ड सरकार
अन्तर्गत धारा 143 जेड.ए.एक्ट
मौजा नौझड़ा
हर आम व खास को सूचित किया जाता कि रीता यादव पत्नी मनोज यादव पुत्री चन्द्रभान यादव निवासी दुर्गा कालोनी जसपुरखुर्द तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर मौजा नौझड़ा तहसील काशीपुर के खता सं. 407 ख.सं. 121 मि. रक्बा 0.022 है. लगानी 0.55 रू. कृषि भूमि से अक्षुक्क भूमि घोषित करने हेतु मेरे न्यायालय में धारा 143 जेड.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.26 मेरे न्यायालय में नियत है। यदि किसी को उक्त के विषय में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निगत दिनांक तक मेरे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया जाएगा।
आज्ञा से- रीडर
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी
काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर

एजेंसियों को राजनीतिक लोगों को डराने-धमकाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खड़गे ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह दावा करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने तर्क दिया, अगर वह सच में इसे लागू करना चाहते हैं, तो वह मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे सकते हैं। वह इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों पर कांग्रेस नेताओं को लगातार निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों की संघर्षियों पर छापे मारें जाने का संदर्भ देते हुए सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सिद्धरमैया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। यह कार्रवाई क्रिकेटर्ससे से जुड़े धनशोधन के एक

किस जब 2026-27 को जनगणना शुरू है तथा सरकार जाति जनगणना की भी बात कर चुकी है तब जनगणना के बाद आये नये आंकड़ों के आधार पर परीसोमन क्यों नहीं कराया जा रहा? रंजन ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को यदि तुरंत लागू करना है तो परीसोमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत का आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती सकार? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, सरकार को नहीं शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को कानून बन चुका है 2034 से मृत रूप लेगा, संशोधन से तुरंत लागू हो जाता। भाजपा की मंशा महिला आरक्षण को नहीं अपने मनमूताविक सीटों के परीसोमन की थी जो विपक्षी दलों के एकजुटता से पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो यह भी कांग्रेस को नीतियों से संभव हो पाया।

सूचना
मेरे सैन्य अभिलेखों में भूलशरार
पुर का नाम NEERAJAN SINGH एवं जन्मतिथि 27.01.2003 गलत दर्ज हुई हैं। मैं सही नाम NIRANJAN SINGH व जन्म तिथि 28.01.2003 दर्ज कराना चाहता हूं। विक्रम सिंह पुत्र स्व. दान सिंह, खतलसगड़ा खाम खटौटा उध्मासिंह नगर, उत्तराखण्ड

कार्यालय पी.एम.श्री. राजकीय इण्टर कालेज, लालकुआँ, नैनीताल निविदा सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस विद्यालय के परिसर में स्थित दो जौपी क्षीण कक्षा-कक्षों के ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु विद्यालय द्वारा नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा प्रपत्र का बिक्री मूल्य रु. 500.00 (पांच सौ मात्र) है। अत: निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29 अप्रैल 2026 तक किसी भी कार्यदिवस को प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र पत्र कार्यालय में जमा जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2026 प्रात: 9:00 बजे तक है। निविदाएं उसी दिन प्रात: 11.00 बजे तक खोली जायेंगी। अत: उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के उपरान्त किसी भी दशा में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त कार्य हेतु निविदा के नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकित हैं।
प्रधानाचार्य, पी.एम.श्री. रा.इ.का. लालकुआँ (नैनीताल)

इण्डिया ग्लोबैकोल्स लिमिटेड			
सी आई एन: L24111UR1983PLC009097			
पंजीकृत कार्यालय: ए-1, इंदिरास्न एरिया, काजूर रोड, काशीपुर-244713, किराज उमर सिंह नगर, उत्तराखण्ड <p>दूरभाष: +91 5947 269000/269500; फ़ैक्स: +91 5947 275315/269535 ई-मेल: compliance.officer@indiajycolcs.com; वेबसाइट www.indiajycolcs.com</p>			
शेयरधारकों के लिए दूसरी सूचना			
भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटरीयलाइजेशन के लिए विशेष विडो			
आपको सूचित किया जाता है कि, 18 फरवरी, 2026 को प्रकाशित हुए हमारे पिछले समाचार पत्र सूचना के क्रम में है। निवेशकों की सुविधा के लिए, सेबी ने अपने 30 जनवरी, 2026 के संशोधन अनुक्रमिक HO/38/13/1(1)(2026-MRSD-PDI/3750/2026 के माध्यम से भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटरीयलाइजेशन के लिए एक और विशेष विडो शुरू की है जिसे 1 अक्टूबर 2019 से पहले खरीदा या बेचा गया था।			
यह विशेष विडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी 2027 तक, एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। यह सुविधा उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इण्डिया ग्लोबैकोल्स लिमिटेड ("कंपनी") के भौतिक शेयर 1 अक्टूबर 2019 से पहले खरीदे थे, और:			
(अ) जिन्होंने हस्तांतरण के लिए शेयर जमा नहीं किए थे, या			
(ख) जिन्होंने हस्तांतरण के लिए शेयर जमा तो किए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमीयों के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, या बायस कर दिया गया था या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।			
विशेष विडो की प्रत्येकता			
विशेष विडो की पाठाला लागू होने की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, शेयरधारक नीचे दी गई तालिका का संदर्भ ले सकते हैं:			
हस्तांतरण विशेष के निमादयन की तिथि	यहां हस्तांतरण के लिए प्रमाणित उपलब्ध	यहां मूल शेयर प्रमाणित उपलब्ध	यहां मौजूदा विडो में जमा करने के लिए पात्र हैं?
1 अक्टू, 2019 से पहले	नहीं	हाँ	✓
1 अक्टू, 2019 से पहले	हाँ (यहां मूल प्रस्तुतीकरण है)	हाँ	✓
1 अक्टू, 2019 से पहले	हाँ	नहीं	X
1 अक्टू, 2019 से पहले	नहीं	नहीं	X
विशेष विडो की अवधि के दौरान पुन: जमा किए गए सभी शेयरों को अनिवार्य रूप से प्राप्तकर्ता के खाते में केवल डीमैट मोड में ही जमा किया जाएगा। साथ ही, ये शेयर हस्तांतरण के परीक्षण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लॉक-बन के अधीन होंगे। इस ब्लॉक-बन अवधि के दौरान इन शेयरों को न तो किसी भी रजिस्ट्रारशिप के लिए एक और विशेष विडो शुरू की है जिसे 1 अक्टूबर 2019 से पहले खरीदा या बेचा गया था।			
यह विशेष विडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी 2027 तक, एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। यह सुविधा उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इण्डिया ग्लोबैकोल्स लिमिटेड ("कंपनी") के भौतिक शेयर 1 अक्टूबर 2019 से पहले खरीदे थे, और:			
(अ) जिन्होंने हस्तांतरण के लिए शेयर जमा नहीं किए थे, या			
(ख) जिन्होंने हस्तांतरण के लिए शेयर जमा तो किए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमीयों के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, या बायस कर दिया गया था या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।			
विशेष विडो की प्रत्येकता			
विशेष विडो की पाठाला लागू होने की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, शेयरधारक नीचे दी गई तालिका का संदर्भ ले सकते हैं:			
हस्तांतरण विशेष के निमादयन की तिथि	यहां हस्तांतरण के लिए प्रमाणित उपलब्ध	यहां मूल शेयर प्रमाणित उपलब्ध	यहां मौजूदा विडो में जमा करने के लिए पात्र हैं?
1 अक्टू, 2019 से पहले	नहीं	हाँ	✓
1 अक्टू, 2019 से पहले	हाँ (यहां मूल प्रस्तुतीकरण है)	हाँ	✓
1 अक्टू, 2019 से पहले	हाँ	नहीं	X
1 अक्टू, 2019 से पहले	नहीं	नहीं	X
विशेष विडो की अवधि के दौरान पुन: जमा किए गए सभी शेयरों को अनिवार्य रूप से प्राप्तकर्ता के खाते में केवल डीमैट मोड में ही जमा किया जाएगा। साथ ही, ये शेयर हस्तांतरण के परीक्षण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए ब्लॉक-बन के अधीन होंगे। इस ब्लॉक-बन अवधि के दौरान इन शेयरों को न तो किसी भी रजिस्ट्रारशिप के लिए एक और विशेष विडो शुरू की है जिसे 1 अक्टूबर 2019 से पहले खरीदा या बेचा गया था।			
यह विशेष विडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी 2027 तक, एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। यह सुविधा उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इण्डिया ग्लोबैकोल्स लिमिटेड ("कंपनी") के भौतिक शेयर 1 अक्टूबर 2019 से पहले खरीदे थे, और:			
(अ) जिन्होंने हस्तांतरण के लिए शेयर जमा नहीं किए थे, या			
(ख) जिन्होंने हस्तांतरण के लिए शेयर जमा तो किए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमीयों के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, या बायस कर दिया गया था या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।			
विशेष विडो			